उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-50/2018/686/92-2-2018-115जॉच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 20 मार्च,2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद में वर्ष 2012-13 में विधायक निधि के अंतर्गत विकास खण्ड-हरिंगटनगंज रामआसरे इण्टर कालेज शाहगंज तक इण्टर लांकिग के कार्य में परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 60,844.00 व मु0 रू0 2,60,159.00 का अधिक भुगतान किये जाने तथा वर्ष 2015-16 में पूर्वान्चल विकास निधि के अंतर्गत सैदपुर, कामाख्या रोड से बिहारा (मठिया) सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलांकिग के कार्य में रू0 94,572.00 का कार्य संदिग्ध पाये जाने व 100 मी0 खण्डजा का कार्य सही न पाये जाने की अनियमितता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मिर्जापुर विन्ध्याचल मण्डल को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-50/2018/686(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-993/ग्रा0अ0वि0/शि0-फैजाबाद/17-18 दि0 06-02-2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री एस0पी0 राव,, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परि0-मिर्जापुर विन्ध्याचल मण्डल।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-फैजाबाद।

3- श्री एस0पी0 राव, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in